



सरस्वती शिक्षा संस्थान छत्तीसगढ़

(पंजीयन क्रमांक २४६६७,

दिनांक २७.११.१९६०)

आयुर्वेदिक महाविद्यालय के पीछे, सरस्वती विहार, रायपुर- ४६२ ०१० (छ.ग.)

F.No. CIT/RPR/Tech/us-80G/2013-14, Dt. 04/12/13

website: www.vidyabhartictg.org, e-mail : vidyabhartictg@gmail.com

दूरभाष क्र.

०७७१-२२६२७७०

०७७१-२२६२३६३

परिपत्र क. 25/2022-23

दिनांक-29.08.2022

प्रति,

श्रीमान् व्यवस्थापक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य

समस्त सरस्वती शिशु मंदिर- छत्तीसगढ़ प्रांत ।

विषय: खेल विवरणिका 2022-23 ।

बन्धुवर,

विद्या भारती की योजनानुसार 33वां खेलकूद समारोह का आयोजन इस सत्र 2022-23 में सम्पन्न होगा, जिसमें प्रतियोगिता संबंधी सूचना निम्नलिखित है ।

1. सभी खेलों के प्रतियोगिता स्थल पर निम्न आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में खेल में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी । अतः अपने साथ ले जाना अनिवार्य है ।

1. एलिजीबिलिटी फार्म - 3 प्रति
2. चिकित्सा प्रमाण पत्र - 3 प्रति
3. जन्म तिथि प्रमाण पत्र - 3 प्रति (प्रारूप 5 शासकीय स्तर)
4. अभिभावक अनुमति पत्र - 3 प्रति
5. पिछली कक्षा की अंकसूची - 3 प्रति
6. आधार कार्ड की छाया प्रति - 3 प्रति
7. ऑनलाईन एन्ट्री की प्रति - 3 प्रति (प्रांत से ऊपर स्तर पर)

2. कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले भैया/बहनों का वजन निम्नानुसार है-

1. बाल वर्ग- 14 वर्ष, भैया- 51 कि.ग्रा., बहिन- 48 कि.ग्रा. तक
2. किशोर वर्ग- 17 वर्ष, भैया एवं बहिन 55 कि.ग्रा. तक
3. तरुण वर्ग- 19 वर्ष, भैया- 70 कि.ग्रा., बहिन- 65 कि.ग्रा. तक

3. आयु गणना-

1. शिशु वर्ग- 11 वर्ष 01 जनवरी 2012 से पूर्व नहीं
2. बाल वर्ग- 14 वर्ष 01 जनवरी 2009 से पूर्व नहीं
3. किशोर वर्ग- 17 वर्ष 01 जनवरी 2006 से पूर्व नहीं
4. तरुण वर्ग- 19 वर्ष 01 जनवरी 2004 से पूर्व नहीं

4. सभी प्रतिभागियों को गीत, प्रातः स्मरण, वंदना, भोजन मंत्र कंठस्थ होना चाहिए ।

5. सभी स्तर की प्रतियोगिताओं में सभी प्रतिभागी/संरक्षक आचार्य अपने साथ खेल वेश (ट्रेकशूट या किट) लेकर आवें ।

6. प्रतिभागी एवं संरक्षक आचार्य अपने साथ मौसम के अनुकूल ओढ़ने बिछाने के वस्त्र, भोजन पात्र, नियमित उपयोग के सामान साथ लेकर आवें ।

7. प्रतियोगिता प्रभारी को प्रांत के खेलकूद में प्रमाण पत्र एवं पदक का क्रमशः 6 रूपये एवं 30 रूपये की दर से प्रांत कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करना है ।
8. गंभीर रूप से बीमार भैया/बहन या आचार्य प्रतियोगिता में भाग नहीं लेवें ।
9. खेल समापन के पश्चात् ही अपने विद्यालय जा सकेंगे । प्रतियोगिता के बीच में अवकाश नहीं दी जावेगी।
10. वाद-विवाद की स्थिति में निर्णायक समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा ।
11. कबड्डी एवं खो-खो खेल का दल निर्माण चयन पद्धति से होगा जो क्षेत्र एवं ऊपर स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेगा ।
12. निर्णायक बन्धु भगिनी (सफेद फूलशर्ट एवं काला फूलपेंट, स्पोर्टशू) अपने निर्धारित वेश में ही प्रतियोगिता में खेल सम्पन्न करेंगे ।
13. खेल प्रभारी प्रतियोगिता सम्पन्न होने के पश्चात् पूरा अभिलेख प्रांत खेल प्रमुख के पास जमा करने के पश्चात् ही अपने विद्यालय वापस जा सकेंगे । पर्याप्त समय के साथ प्रतियोगिता में आवें ।
14. खेल कार्यालय से संबंधित आचार्य प्रमाण पत्र, पदक वितरण एवं अभिलेख का संधारण पूर्णकर एवं अगले स्तर की प्रतियोगिता की सूची वर्गवार बनाकर ही अपने विद्यालय को जा सकेंगे ।
15. कबड्डी, व्हालीबाल, शतरंज एवं योगासन खेल के प्रतिभागी प्रांत में विजेता होने पर अगले स्तर क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता हेतु रूकेंगे, शेष वापस जा सकेंगे । उसी प्रकार आवश्यकतानुसार संरक्षक आचार्य भी प्रतियोगिता में सम्मिलित होंगे ।
16. जिस खेल प्रतियोगिता का आयोजन प्रांत स्तर में नहीं होगा और खिलाड़ी सीधे क्षेत्र या ऊपर स्तर में सम्मिलित होते हैं उस स्थिति में समस्त प्रतियोगिता एवं मार्ग व्यय की राशि स्वयं खिलाड़ी/विद्यालय के द्वारा भुगतान होगा ।



(विवेक सक्सेना)

सचिव

प्रतिलिपि-

1. मान. अध्यक्ष/संगठन मंत्री सरस्वती शिक्षा संस्थान छ.ग. ।
2. मान. अध्यक्ष/सचिव/प्रांत प्रमुख सरस्वती ग्राम शिक्षा समिति बिलासपुर ।
3. मान. प्रांत प्रमुख/जिला प्रतिनिधि/विभाग समन्वयक सरस्वती शिक्षा संस्थान छ.ग. ।
4. श्रीमान् प्रांतीय खेल प्रमुख, विद्या भारती छ.ग. ।



(विवेक सक्सेना)

सचिव